बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

23 मार्च, 2022

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

Total Short Notice Question- 8

महामारी एवं कठिनाइयों से मुक्त

*94 **श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत वार्ड नं०- 13 में स्थित मजार-ईमामबाड़ा-मुख्य रास्ता समेत कई घरों के अंदर हमेशा जमा हो जाने वाले सार्वजनिक नाले के दुर्गन्धयुक्त पानी से मोहल्लेवासियों का चलना फिरना, रहना मुश्किल हो गया है, आये दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि मजार-दमड़िया-ईमामबाड़ा का रास्ता एक गड्ढे में तब्दील हो गया है जिससे चैम्बर से निकलकर पूरे रास्ते पर विषाक्त दुर्गन्धयुक्त पानी भर जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नालों का सही ढंग से पुनर्निर्माण, दुर्गन्धयुक्त नाले के पानी की निकासी की व्यवस्था तथा बरसात के पूर्व साफ-सफाई की व्यवस्था अविलम्ब करना चाहती है ताकि दुर्घटना, महामारी एवं अन्य कठिनाइयों से मुहल्लेवासियों को छुटकारा मिल सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जाम से मुक्ति

***95 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना में हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट फुटपाथी दुकानदारों, ठेला वालों द्वारा अतिक्रमित किए जाने एवं ई-रिक्शा द्वारा वनवे रहने के बावजूद भी दो तरफा आवागमन करने एवं खेतान मार्केट मोड़ पर स्टैंड बनाने के कारण भीषण जाम रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि इन पथों पर भारी जाम रहने के कारण आसपास के मुहल्ला वासियों का इमरजेंसी में अस्पताल पहुंच पाना अत्यंत ही दुष्कर कार्य हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के नगरवासियों को भीषण जाम से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

घोटाले की जांच

***96 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 में बागमती परियोजना में मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखण्ड में 7 करोड़ रूपये की फर्जी निकासी की गई, जिसके विरुद्ध 2016 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 में बागमती परियोजना में हुए 7 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच भूमि अर्जन निदेशक, निदेशालय बागमती परियोजना द्वारा की जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि घोटाले में संलिप्त पदाधिकारियों पर 8 वर्षों में भी कार्रवाई नहीं होने के कारण निदेशक बागमती परियोजना के नेतृत्व में राज्य सरकार के जांचदल का गठन किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बागमती परियोजना में हुए 7 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच मंत्रीमंडल निगरानी विभाग से कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाला का निर्माण

***97 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
कृया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) कृया यह सही है कि पटना जिले के दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत तकियापुर से गाभतल चौराहा तक की मुख्य सड़क के दोनों ओर के नाला का वर्षों से निर्माण नहीं होने के कारण घरों का पानी प्रायः सड़क पर बहता रहता है साथ ही जो कच्चा-पक्का ध्वस्त नाला है, वह भी पूर्णतः जाम हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नाला का निर्माण नहीं कराने में नगर प्रशासक की अहम भूमिका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बताए कि वह खण्ड 'क' में वर्णित सड़क के दोनों ओर नाला का निर्माण करना चाहती है, साथ ही सरकार इसकी जांच जिला पदाधिकारी, पटना से कराकर सदन को अवगत कराना चाहेगी, यदि हां तो कबतक?

जमीन पर दखल

***98 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
कृया मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) कृया यह सही है कि समस्तीपुर जिले के वारिसनगर अंचल अंतर्गत ग्राम मकसुदपुर के भूतपूर्व सैनिक पवन कुमार सिंह को प्रभारी उपसमाहर्ता के ज्ञापांक 804 दिनांक 15.04.1976 द्वारा 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन की बंदोबस्ती की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर आज तक स्व. पवन कुमार सिंह के आश्रित को कब्जा नहीं दिलाया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पत्रांक 28 मु./भु०सु० दिनांक 09 फरवरी 2016 द्वारा अंचल अधिकारी, वारिसनगर को कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि खण्ड 'ग' में वर्णित बिन्दुओं पर अंचलाधिकारी, वारिसनगर द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने अपने ज्ञापांक 324 भु०सु० दिनांक 10 मार्च 2016 द्वारा जिलाधिकारी, समस्तीपुर से अनुरोध किया कि अंचलाधिकारी, वारिसनगर को पर्चाधारी को दखल कब्जा दिलाने हेतु निदेश दिया जाए,

किन्तु छः वर्ष बीतने के बावजूद आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खण्ड 'क' में वर्णित भूतपूर्व सैनिक, पर्चाधारी को उनकी जमीन पर दखल कब्जा दिलाना चाहती है और 40 साल से उनके आश्रित को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाला का निर्माण

*99 **डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
कृया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) कृया यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मंगलम विहार कॉलोनी, आरा गार्डेन रोड, जगदेव पथ में अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि मंगलम विहार अपार्टमेंट फेज 1 से मंगलम विहार कॉलोनी, तक की सड़क उबड़-खाबड़ रहने के कारण मुहल्लावासियों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है;

(ग) क्या यह सही है कि मंगलम विहार कॉलोनी में श्री मनोज कुमार के घर से पीके सिन्हा के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण का टेंडर नगर विकास विभाग के द्वारा किया जा चुका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खण्ड 'ग' में वर्णित सड़क एवं नाला का निर्माण करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

ढाका नगर परिषद् का विकास नहीं

*100 **श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
कृया मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) कृया यह सही है कि पूर्वी चम्पारण के ढाका नगर परिषद् में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि विकास का कार्य नहीं होने की वजह से आमलोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ढाका नगर परिषद् में

विकास का कार्य कबतक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?

जमीन का दाखिल-खारिज

*101 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
कृया मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) कृया यह सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान के अस्मा गांव में 5 कट्ठा 15 धूर खतियानी जमीन केबाला नं. 5248 मो. कयुम अंसारी द्वारा 24-06-1997 को खरीद है;

(ख) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, कुशेश्वर स्थान को उक्त जमीन की दाखिल-खारिज करते हुए लगान निर्धारण हेतु सन् 1998 में मो. अंसारी द्वारा आवेदन दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी द्वारा लगान निर्धारण हेतु आदेश करते हुए फार्म M भी जारी कर दिया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अबतक उक्त जमीन की दाखिल-खारिज से संबंधित रशीद निर्गत नहीं की गई, यदि हां तो सरकार कबतक उक्त खरीदी गई जमीन की दाखिल-खारिज से संबंधित रशीद मो. अंसारी को उपलब्ध कराना चाहती है?